<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू</u>
<u>पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)</u>

मुकदमा नम्बर 94/2025 दायर दिनांक–17.04.2025

1. मुन्नाराम उर्फ सांवरमल पुत्र गजानन्द उर्फ गजू जाति नाई निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

– वादी

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी महावीर प्रसाद पुत्री
2. श्री सुभाषचन्द्र सैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद
3. रामजीलाल पुत्र महावीर प्रसाद
4. ग्यारसीलाल पुत्र महावीर प्रसाद
5. विनोद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद
6. रूघनाथ पुत्र गजू
7. कैलाश चन्द्र पुत्र गजू
8. किशोरलाल पुत्र गजू जाति नाई निवासीगण ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज. ।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री तरूण कुमार मिंतर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

<u>दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक : 09.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.) की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1369 रकबा 2.0700 हैक्टर अवस्थित है।

उक्त खसरा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की पैतृक भूमि है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायी गयी 8 के पिता व दादा गंजानंद नाइक गुजू की वंशावली इस प्रकार है :–गजानन्द उर्फ गजू के पांच पुत्र हुये जिनके नाम क्रमशः महावीर प्रसाद, रूघनाथ, कैलाश, मुन्नाराम उर्फ सांवरमल एवं किशोरलाल है महावीर प्रसाद की मृत्यू हो चुकी है जिनके वारिसगण उनकी पत्नी मुन्नी देवी एवं पुत्रगण सुभाष, रामजीलाल, ग्यारसीलाल एवं विनोद है गजानन्द उर्फ गजू के वारिसगण को वंशावली अनुसार बताया गया है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पिता दादा बहुत ही सीधे सादे व्यक्ति थे। लोग उन्हें गजू पुराकते थे उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण के समय गजू पुत्र प्रभात चला आ रहा था।

गजानन्द उर्फ गजू का परिवार शुरू से ही स्वयं की तरह सीधा सादा रहा है जिन्हे राजस्व रिकार्ड के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।

मुन्नाराम उर्फ सांवरमल वादी बहुत ही सीधा [illegible] पढ़ा लिखा नहीं है। अपने पिता गजानन्द उर्फ गजू के मृत्योपरान्त वादी [illegible] जगह सांवरमल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। मुन्नाराम उर्फ सांवरमल (वादी) को लोग प्यार [illegible] सांवरा–सांवरा कहते थे तब [illegible]करण के समय मुन्नाराम की जगह सांवरमल [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested

मुन्नाराम उर्फ सांवरमल के सभी दस्तावेजों में मुन्ना[illegible] पुत्र गजानन्द दर्ज है वादी [illegible]वली में पेश किये गये आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजो में मुन्नाराम पुत्र गजानन्द दर्ज है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट। फास्ट-ट्रेक। नवलगढ़

मुन्नाराम पुत्र गजानन्द तथा सांवरमल पुत्र गजू एक ही व्यक्ति है जिसके लिये वादी द्वारा पत्रावली में दस्तावेज पेश किये गये है।

वादी दिनांक 18.03.2025 को अपनी कृषि भूमि पर के.सी.सी. लोन लेने के लिये बैंक में गया तो बैंक वालो ने के.सी.सी. लोन देने के लिये मना कर दिया तथा कहा कि आपके दस्तावेज और जमाबन्दी में नाम अलग–अलग होने के कारण बैंक द्वारा आपको लोन नही दिया जा सकता है इसलिये नाम दुरूस्ती के लिये यह वाद लाजमी आया है।

वादी के सभी दस्तावेजों में मनोहरराम पुत्र गजानंद दर्ज है और कृषि भूमि जमाबंदी मावाड़ी का नाम सांवरमल पुत्र गजानंद दर्ज हैइसलिये सरकार द्वारा कृषि भूमि से प्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिये यह वाद लाजमी आया है।

वादकारण दिनांक 18.03.2025 को पैदा हुआ जब वादी को पता चला कि आपके दस्तावेजो एवं जमाबन्दी में नाम अलग–अलग है इसलिये आप के.सी.सी. का लोन प्राप्त नहीं कर सकते हो इस प्रकार बैंक द्वारा के.सी.सी. लोन देने से मना कर दिया।

अतः वाद पेशकर निवेदन है कि :–ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1369 रकबा 2.0700 हैक्टर में वादी का नाम क्रम संख्या 10 पर सांवरमल पुत्र गजू के स्थान पर मुन्नाराम पुत्र गजानन्द दर्ज करने की कृपा करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण नम्बर 01, 02 व 05 लगायत 07 की ओर से वकील श्री वेदप्रकाश वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 05 लगायत 07 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड व बैंक पास बुक आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गलत दर्ज चला आ रहा है। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम सांवरमल पुत्र गजू के स्थान पर मुन्नाराम पुत्र गजानन्द किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1369 रकबा 2.0700 हैक्टर में वादी का नाम सांवरमल पुत्र गजू के स्थान पर मुन्नाराम पुत्र गजानन्द किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 94/2025 **(मुन्नाराम उर्फ सांवरमल बनाम मुन्नी देवी आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1369 रकबा 2.0700 हैक्टर में वादी का नाम सांवरमल पुत्र गजू के स्थान पर मुन्नाराम पुत्र गजानन्द किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested